EMAN

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र/बी-6/नियमन/वि.अनु./कपिल एड संस/644/ 484 भोपाल,दिनांक 19 /01/2021

प्रति,

मेसर्स कपिल एण्ड संस
सिविल वार्ड नं **90**, गॉधी आश्रम के पास
दमोह जिला दमोह

विषयः-एक से अधिक मण्डी क्षेत्रो के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, **2009** (यथा संशोधित) के अधीन नवीन विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने के संबंध मे।

संदर्भः- आपका आवेदन दिनांक **30.08.2021**

आपके द्वारा म.प्र. कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रो के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम-**2009** (यथा संशोधित) के अधीन विशेष अनुज्ञप्ति प्राप्त किये जाने हेतु प्रारूप-एक मे आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमे कृषि उपज मण्डी समिति हटा, जबेरा एवं दमोद मे उत्पादको से कृषि उपज क्रय करने हेतु **03** क्रय केन्द्र की स्थापना के लिए अनुज्ञप्ति फीस रूपये **20** हजार की डीडी एवं संशोधित नियम-**2009** के नियम **6** के अधीन राशि रूपये **03** लाख की (कुल तीन लाख मात्र) भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दमोह की एफ.डी.आर. प्रबंध संचालक म**0**प्र**0** राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल के नाम से है, जिसकी अवसान तिथि **31.8.2026** तक की संलग्न की गई थी।

मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रो के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, **2009** के नियम **8(3)** के प्रावधान अंतर्गत संबंधित मण्डी सचिव तथा संभागीय उपसंचालक से क्रय केन्द्र के प्रस्तावित स्थान की जांच कर रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमे प्रश्नाधीन तीनो मंडी सचिवो के प्रतिवेदन के आधार पर संयुक्त संचालक आंचलिक कार्यालय सागर के द्वारा आपकी फर्म कंपिल एण्ड संस दमोह और इससे संबंधित **04** कंपनियॉ के अवैध परिवहन जैसी अनियमिताओ में संलिप्त होने से मंडी अधिनियम के विपरीत क्रियाकलापो में संलग्नता के कारण इनके विरूद्ध एफ.आई.आर. तथा न्यायालयीन प्रकरण विचाराधीन होना भी संसूचित किया गया।

अतः उपरोक्त आधार पर फर्म कंपिल एण्ड संस दमोह द्वारा विशेष अनुज्ञप्ति नियम मे निर्धारित मापदंडो की पूर्ति नही करने से उनके विशेष लायसेंस के आवेदन को अमान्य किया जाता है।

उक्त नियम **8(5)** के प्रावधान अनुसार फर्म को अनुज्ञप्ति फीस रूपये **20,000/-** एवं नियम **6** के अंतर्गत प्रतिभूति राशि रूपये **03** लाख की (कुल तीन लाख मात्र) भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दमोह की एफडीआर मूलतः वापस की जाती है।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार

(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

19/1/22

संयुक्त संचालक(नियमन)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

D:\SANDEEP BIRARE\LETTER NEW SANDEEP.docx

क्र/बी-6/नियमन/वि.अनु./कपिल एंड संस/644/4685 भोपाल,दिनांक 19 /01/2021

प्रतिलिपि:-

(1) संयुक्त/उप संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय भोपाल/ इंदौर/ उज्जैन/ जबलपुर/सागर/ग्वालियर/रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(2) सचिव कृषि उपज मण्डी समिति.........सभस्त......... जिला.............................. म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

19/1/22

संयुक्त संचालक(नियमन)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

D:\SANDEEP BIRARE\LETTER NEW SANDEEP.docx